



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221387
CG-DL-E-27082020-221387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2573]
No. 2573]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2020/भाद्र 5, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2020/BHADRA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2020

(आयकर)

का.आ. 2902(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना का.आ. 2754(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2020, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया जा चुका है, की अनुसूची में-

- (i) कॉलम (4) में, क्रम सं. 7 के समक्ष प्रविष्टि संख्या (iii) समक्ष शब्द "प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेंगालुरु-4" निरसित किये जायेंगे और इनके स्थान पर शब्द "प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली अंतःस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) क्रम सं. 26 के समक्ष, कॉलम (4) में,
- (क) संख्या और शब्द "(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-8" को निरसित किया जायेगा और इनके स्थान पर संख्या और शब्द "(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-18" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (ख) प्रविष्टि संख्या (v) की संख्या और शब्द निरसित माने जायेंगे।

(iii) क्रम सं. 42, के समक्ष कॉलम (4) में,

(क) संख्या और शब्द “(i) मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना” को निरसित किया जाएगा और संख्या और शब्द “(i) मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकुला” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) प्रविष्टि (vi), (vii) और (viii) के समक्ष संख्या और शब्द निरसित माने जायेंगे।

(iv) क्रम संख्या 43 में, यथा, -

(क) कॉलम (2), में शब्द “मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना” के स्थान पर शब्द “मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकुला” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) कॉलम (3), में शब्द “लुधियाना” के स्थान पर शब्द “पंचकुला” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ग) कॉलम (4), में संख्या और शब्द, यथा,-

“(i) प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना-1, (ii) प्रधान आयकर आयुक्त, जालंधर-1 और (iii) प्रधान आयकर आयुक्त, पटियाला” के स्थान पर क्रमशः “(i) प्रधान आयकर आयुक्त, पंचकुला; (ii) प्रधान आयकर आयुक्त, फरीदाबाद और (iii) प्रधान आयकर आयुक्त, रोहतक” प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(v) क्रम संख्या 44, के समक्ष कॉलम (4) में, प्रविष्टि (ii) के पश्चात्, संख्या और शब्द “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना-1, (iv) प्रधान आयकर आयुक्त, जालंधर-1 और (v) प्रधान आयकर आयुक्त, पटियाला” अंतः स्थापित किये जायेंगे।

[अधिसूचना सं. 68/2020/फा. सं. 187/3/2020 (आईटीए.-I)]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 51/2014 को संख्या का.आ. 2753(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 2754(अ) दिनांक 13 अगस्त, 2020 के द्वारा संशोधन किया गया है।